बिहार सरकार (राज्य योजना)

<u>पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग</u>

सं0–पि0व0/ज0क0ठा0क0छा0नि0/प्र0/स0–38–01/2015– 02

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 09/02/17

विषयः–वर्ष 2008–09 में राज्य योजना अन्तर्गत 100 आसन वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना की स्वीकृति प्रति छात्रावास रू०187.00 लाख (एक करोड़ सतासी लाख रू0) मात्र के आलोक में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2016–17 में परिशिष्ट–I के अनुसार कुल 18 छात्रावासों के निर्माण के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार कुल रू०5681.96 लाख (छप्पन करोड़ एक्कासी लाख छियानवे हजार रूपये मात्र) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति एवं निर्माण कार्य की योजना लागत में हुई वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त राशि रू०2315.96 लाख (तेईस करोड़ पन्द्रह लाख छियानवे हजार रू0 मात्र) का वहन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के द्वारा Corporate Social Responsibility के तहत किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश :– **स्वीकृत।**

2– इस योजना के मूल लागत के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधानित राशि से व्यय किया जायेगा ।

राज्य योजनान्तर्गत माँग संख्या–11 के अन्तर्गत आय–व्ययक शीर्ष "4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पुँजीगत परिव्यय–उपमुख्यशीर्ष–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–लधु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0101–आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार–विषय शीर्ष–53 01 मुख्य निर्माण कार्य–विपत्र कोड–पी4225032770101 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

निर्माण कार्य की योजना लागत में हुई वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त राशि रू०2315.96 लाख (तेईस करोड़ पन्द्रह लाख छियानवे हजार रू0 मात्र) का वहन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के द्वारा Corporate Social Responsibility के तहत किया जाएगा।

[illegible] की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक 2561 दिनांक 17–4–1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

4– पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की राशि के लिए निकासी पदाधिकारी, सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार पटना के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। वे योजना की लागत की मूल राशि की निकासी कर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के पी0 एल0 खाता में स्थानान्तरित करेंगे। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा राशि व्यय के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को देंगे।

5– परिशिष्ट–I के छात्रावास भवनों का निर्माण का संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली भूमि पर किया जाएगा। निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये नक्शा, प्राक्कलन तथा निर्धारित मापदण्ड एवं निर्धारित समय सीमा के अन्दर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के माध्यम से कराया जायेगा।

1247

6– इस योजना के लिये नियंत्री पदाधिकारी, सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग होंगे। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना समय–समय पर कार्य की प्रगति एवं व्यय की गई राशि की उपयोगिता की सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भी माहवार उपलब्ध करायेंगे।

7– इस प्रस्ताव पर योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

8– इस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–17.01.2017 में मद संख्या–29 के द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।

9– इस प्रस्ताव पर सं0–पि0व0/ज0क0टा0क0छा0नि0/प्र0/स0–38–01/2015– के पृ0 सं0– 51 /टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से सहमति प्राप्त है।

10– इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

11– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/ज0क0टा0क0छा0नि0/प्र0/स0–38–01/2015– 72 पटना, दिनांक– [illegible]

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव वित्त विभाग, बजट, शाखा/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रषित।

(2) प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव, निगरानी विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) सभी संबधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/उप सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित उप निदेशक, कल्याण/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकरी/प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव।

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

परिशिष्ट–I

(राशि लाख में)

क्र0 स0	जिला का नाम	स्थूल प्राक्कलन स्वीकृत	पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत	अंतर की राशि की स्वीकृत
1	2	3	4	5
1	जमुई	187.00	257.36	70.36
2	मधेपुरा	187.00	288.63	101.63
3	सुपौल	187.00	255.31	68.31
4	सीतामंढी	187.00	286.29	99.29
5	गोपालगंज	187.00	333.73	146.73
6	सारण	187.00	324.00	137.00
7	भागलपुर	187.00	295.41	108.41
8	मुंगेर	187.00	279.07	92.07
9	मुजफ्फरपुर	187.00	270.63	83.63
10	औरंगाबाद	187.00	324.19	137.19
11	अरवल	187.00	333.99	146.99
12	बेगूसराय	187.00	290.43	103.43
13	पूर्वी चम्पारण	187.00	285.12	98.12
14	पश्चिम चम्पारण	187.00	308.20	121.20
15	सहरसा	187.00	306.62	119.62
16	नवादा	187.00	445.08	258.08
17	खगडिया	187.00	398.92	211.92
18	शिवहर	187.00	399.01	212.01
	कुल योग	**3366.00**	**5681.96**	**2315.96**

पत्रांक– 02 दिनांक– 09/02/17 का अनुलग्नक

सरकार के सचिव।